

WPC
17



प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियां) कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS)

10-ए, एस. के. बोस रोड, कोलकाता - 700 001

10-A, S. K. BOSE ROAD, KOLKATA - 700 001

दूरभाष : 033-22485077-80 फैक्स : 033-22480991 Email : cda-cal@nic.in website : <https://pcfays.gov.in>



भाग-II कार्यालय आदेश सं. 292

दि: 28/02/2020

Part-II O. O. No. 292

Date: 28/02/2020

विषय : एम.ए.सी.पी. योजना के तहत ले.प. (सीधे भर्ती/ग्रुप-डी के रूप में नव नियुक्त) को
तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना ।

Subject : Grant of Third Financial upgradation under MACP scheme to the
Auditor (Recruited as Group-D fresh entrant).

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 35034/3/2008/स्था-(घ) दिनांक 19/05/2009 के द्वारा केंद्रीय सरकारी असैन्य कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत नियंत्रक वित्त एवं लेखा (फै.), कानपुर निर्माणी समूह, कानपुर एतद्वारा इस आदेश के परिशिष्ट में उल्लिखित व्यक्तियों को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर या ले.प. के पद पर द्वितीय पदोन्नति से उसी ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से संशोधन-पूर्व वेतन बैंड-2 में रु.9300-34800 के वेतनमान में ग्रेड वेतन रु.4200/- तथा 7th CPC वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-6 पर तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करते हैं ।

The Controller of Finance & Accounts (Fys), Kanpur Group of Factories, Kanpur hereby approves the grant of third Financial upgradation under MACP Scheme as introduced by Government of India vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2008 – Estt.(D) dated 19/05/2009 for Central Govt. Civilian Employees in respect of the individuals mentioned in **annexure**, w.e.f. the date mentioned against them in the (Pre-revised) 6th CPC scale of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4200 in the Pay Band -2 , corresponding to the level-6 of revised Pay Matrix under 7th CPC. Individual(s) have/ has already either completed 30 years of regular service or completed 10 years in the same grade pay from the date of 2nd promotion.

एम.ए.सी.पी. के अधीन व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन /वेतन मैट्रिक्स में संस्थापन केवल वित्तीय लाभ की स्वीकृति दी जाती है और जिसे संबंधित व्यक्ति की वास्तविक

Contd.....P/02

कार्यात्मक पदोन्नति नहीं मानी जाएगी एवं इसका संबंधित व्यक्ति की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher grade pay/ Pay Matrix for grant of financial benefits only and **shall not amount to actual functional promotion** of the concerned individual(s) and shall also have no relevance to individual's seniority position.

एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन होने पर उनका वेतन निर्धारण व्यय विभाग के का.जा. सं. 1/1/2008-आई.सी दिनांक 13/09/08 एवं का.जा. सं 1-6/2016-IC (Pt.) दिनांक 29/09/16.के अनुसार एफ आर 22(1) (ए) (1) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा । इसलिए संबंधित व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उनका वेतन निर्धारण का कोई विकल्प हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्यालय के प्रशा-वेतन अनुभाग को भेज दें ।

On her/his financial upgradation under MACP Scheme, his/her pay shall be fixed under the provision of FR 22(I) (a) (1) as per Deptt. of Expenditures OM No. 1/1/2008(Pt.) dated 13/09/08 and OM No. 1-6/2016-IC (Pt.) dated 29/09/16. Individual(s) is/ are, therefore, advised to exercise option towards fixation of pay, if any and furnish the same to the AN Pay Section of this office within the specified period.

“किसी भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय उन्नयन की जानकारी बाद में मिलने पर वे वेतन एवं भत्ते की राशि का अंतर विभाग को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे/होंगी ।”

“In the event of any erroneous financial up gradation noticed at later stage, individual(s) would be liable to refund the differences of Pay and Allowances to the Department.”

उपर्युक्त आशय का वचनबंध उक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसे प्राप्त कर अभिलेखित कर लिया गया है।

An undertaking to this effect has been accepted by the individual(s) and the same has been obtained and recorded.

--Sd--

(शुभंकर चटर्जी) / (SUBHANKAR CHATTERJEE)
वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) / Sr. Accounts Officer (AN)

सं. 1071/प्रशा-III/एम.ए.सी.पी./ले.प./खंड-III दि: 28/02/2020

No. 1071/AN-III/MACP/Aud/Vol-III dated: 28/02/2020

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. र.ले.म.नि., उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10 /The CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt-10.
2. प्र.र.ले.नि. (पेन्शन), इलाहाबाद / The PCDA(Pension), Allahabad.
3. र.ले.नि. (निधि), मेरठ /The CDA(Fund) Meerut.
4. प्रशा अनुभाग- स्थापना /प्रशा वेतन/ प्रशा-वेतन का वेतन निर्धारण गुप/ गोपनीय रिपोर्ट/ सेवा पुस्तिका ।
AN Section: Estt. AN:II/AN:Pay/Pay fixation group of AN-Pay /CR/SB.
5. गार्ड फाइल / Guard File.
6. वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.), कानपुर निर्माणी समूह, कानपुर /The CFA (Fys), Kanpur Group of Factories, Kanpur
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, कानपुर एवं संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिलिपि ।
The Officer in Charge, AO OF KANPUR with a copy to the concerned individual(s).
8. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट सेल, मु.का. (स्थानीय) - कृपया अपलोड करें ।
✓ The Officer in Charge, Website Cell, M.O. (Local) – For uploading please.

शुभंकर चटर्जी

(शुभंकर चटर्जी) / (SUBHANKAR CHATTERJEE)

वरि. लेखा अधिकारी (प्रशा.) / Sr. Accounts Officer (AN)

ANNEXURE

Part II Office Order No : 292

Date : 28.02.2020

Sl. No.	Name	A/C No.	Office / Section	Date of Effect
1	NANDESHWAR	8335075	AO OF KANPUR	21.06.2018
2	UMA SHANKAR	8335073	AO OF KANPUR	22.07.2018

शुभंकर चटर्जी

(शुभंकर चटर्जी) / (SUBHANKAR CHATTERJEE)

वरि. लेखा अधिकारी(प्रशा) / Sr. Accounts Officer (AN)